

ब्यूज टुडे

भारत और यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्रियों ने भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की

हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इसमें कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में समझौते किए गए हैं। इनमें आर्थिक संवृद्धि को मजबूत करना, रक्षा व सुरक्षा सहयोग का विस्तार करना आदि शामिल हैं।

भारत-यूनाइटेड किंगडम संयुक्त वक्तव्य पर एक नजर

- ▶ **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल (TSI) के आधार पर, दोनों देशों ने विविध संस्थाओं का स्वागत किया, जैसे – इंडिया-यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर, यूके-इंडिया क्रिटिकल मिनेरल्स सप्लाय चैन ऑब्जर्वेटरी, यूके-इंडिया क्रिटिकल मिनेरल्स प्रोसेसिंग एंड डाउनस्ट्रीम कोलैबोरेशन गिल्ड आदि।
- ▶ **संवृद्धि, व्यापार और निवेश:** भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) को जल्द-से-जल्द अनुमोदित करने पर सहमति बनी।
- ▶ **रक्षा और सुरक्षा:** दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने का वादा किया। इसके तहत इंडो-पैसिफिक ओशनस इनिशिएटिव के अंतर्गत रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (RMSCE) की स्थापना की जाएगी।
 - ⊙ साथ ही, भारत की वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइल (LMM) प्रणालियों की प्रारंभिक आपूर्ति के लिए G2G (सरकार-से-सरकार) रूट के तहत समझौता किया गया।
- ▶ **जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य और अनुसंधान:** क्लाइमेट टेक स्टार्ट-अप फंड के लिए नए संयुक्त निवेश की घोषणा की गई। यह यूनाइटेड किंगडम की सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत एक रणनीतिक पहल है।
- ▶ **शिक्षा, संस्कृति और लोगों के मध्य सहयोग:** बेलफास्ट की क्वींस यूनिवर्सिटी और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी को GIFT सिटी में अपना कैम्पस शुरू की अनुमति दी गई।
- ▶ **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग:** दोनों देश वर्तमान विश्व व्यवस्था के अनुकूल बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार भी शामिल है। साथ ही, यूनाइटेड किंगडम ने भारत की UNSC में स्थायी सदस्यता की वैध आकांक्षाओं के प्रति अपने दीर्घकालिक समर्थन को भी दोहराया।

भारत ने जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने के लिए 'नेशनल रेड लिस्ट रोडमैप' प्रस्तुत किया

“भारतीय वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के राष्ट्रीय रेड लिस्ट आकलन के लिए विज्ञान 2025–2030” एक व्यापक जैव विविधता निगरानी तथा संरक्षण परियोजना का खाका प्रस्तुत करता है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विज्ञान 2025–30 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- ▶ **विज्ञान:** राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित और सहभागितापूर्ण रेड लिस्ट प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह प्रणाली भारत के विविध पारिस्थितिकी-तंत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की वास्तविक संरक्षण स्थिति को दर्शाएगी।
- ▶ **दायरा:** यह परियोजना एक पांच-वर्षीय पहल है। इसका लक्ष्य लगभग 11,000 प्रजातियों (7000 वनस्पति प्रजातियों और 4000 जीव-जंतु प्रजातियों) की विलुप्ति के जोखिम का आकलन करना है।
- ▶ **संदर्भ और आवश्यकता:** भारत विश्व के 17 मेगाडायवर्स देशों में से एक है, जहां विश्व की लगभग 8% वनस्पतियां और 7.5% जीव-जंतु पाए जाते हैं। देश में चार जैव विविधता हॉटस्पॉट्स भी हैं। ये हैं- हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो-बर्मा और सुंडालैंड।
 - ⊙ हालांकि, अब तक भारत की केवल 6.33% पादप प्रजातियां और 7.2% जीव-जंतु प्रजातियां ही वैश्विक IUCN रेड लिस्ट में आंकलित की गई हैं।
- ▶ **प्रमुख एजेंसियां:** इस पहल का नेतृत्व वनस्पतियों के लिए बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (BSI) और जीव-जंतुओं के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) कर रहे हैं।
- ▶ **कार्यप्रणाली:** यह परियोजना IUCN प्रजाति संरक्षण चक्र का अनुसरण करेगी जैसे: आकलन, योजना निर्माण, कार्य, नेटवर्क, और संवाद।
- ▶ **अंतर्राष्ट्रीय समन्वय:** यह परियोजना जैव विविधता अभिसमय (CBD) और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) जैसे अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुरूप है। इसके अलावा, रेड लिस्ट आकलनों का उपयोग संरक्षण लक्ष्यों की प्रगति को मापने के लिए किया जाएगा।



चीन ने दुर्लभ भू-खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए

चीन की सरकार ने चीन से प्राप्त दुर्लभ भू-खनिजों के निर्यात के लिए सरकारी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। साथ ही, बिना सरकारी अनुमोदन के दुर्लभ भू-खनिजों के निष्कर्षण के लिए तकनीकों, चुंबक निर्माण और सैन्य-संबंधी निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

- इन प्रतिबंधों का प्रभाव एडवांस्ड चिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर पड़ सकता है, जिनका संभावित सैन्य उपयोग हो सकता है। इसके अलावा, इनसे आपूर्ति श्रृंखलाएं भी बाधित हो सकती हैं।

दुर्लभ भू-खनिजों (Rare Earth Elements - REEs) के बारे में

- दुर्लभ भू-खनिजों में 17 खनिज शामिल होते हैं। इनमें 15 लैंथेनाइड तथा स्कैंडियम (Scandium) और यट्रियम (Yttrium) शामिल हैं।
- ये खनिज लोहित-धूसर रंग से लेकर चांदी जैसे चमकीले होते हैं और सामान्यतः नरम, आकार बदलने योग्य (malleable), लचीले (ductile) तथा रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील होते हैं।
- अपने नाम के विपरीत, ये खनिज प्रकृति में बहुत दुर्लभ नहीं हैं, बल्कि मध्यम मात्रा में पाए जाते हैं।
- महत्व: दुर्लभ भू-खनिज हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा, रक्षा प्रणालियों, उन्नत औद्योगिक उपयोग, इलेक्ट्रिक वाहनों और नई उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

चुनौतियां

- आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण: वैश्विक दुर्लभ भू-खनिज खनन में चीन का लगभग 70% योगदान है।

☉ भारत के पास दुर्लभ भू-खनिज का विश्व का पांचवां सबसे बड़ा भंडार है।

- निष्कर्षण की जटिलता: दुर्लभ भू-खनिज प्रकृति में बिखरे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें आर्थिक रूप से निकालना कठिन होता है।
- पर्यावरण संबंधी चिंताएं: इन खनिजों के खनन और प्रसंस्करण से विषाक्त अपशिष्ट एवं रेडियोधर्मी उप-उत्पाद उत्पन्न होते हैं।

आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत की पहलें

- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission): वर्ष 2025 में शुरू किया गया यह मिशन भारत के लिए एक रोडमैप है। इसका उद्देश्य घरेलू और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है।
- खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL): इसका उद्देश्य भारतीय उद्योगों के लिए विदेशों से रणनीतिक खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- खनिज सुरक्षा साझेदारी: भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अगुवाई वाली इस पहल से जुड़कर वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है।

वन्यजीव संरक्षण (केरल संशोधन) विधेयक, 2025 संघीय पर्यावरणीय गवर्नेंस में तनाव को दर्शाता है

प्रस्तावित संशोधन मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती समस्या, विशेष रूप से जंगली सूअरों से जुड़ी घटनाओं पर केंद्र सरकार की धीमी प्रतिक्रिया को लेकर केरल राज्य की निराशा के कारण लाए गए हैं। राज्य ने कई बार जंगली सूअर को 'वर्मिन' (पीड़क जंतु) घोषित करने की मांग की है।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- इसमें मुख्य वन्यजीव वार्डन (CWW) को तत्काल कार्रवाई करने का यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी वन्यजीव को मारने, बेहोश करने, पकड़ने या स्थानांतरित करने का आदेश दे सके, जो मानव आबादी वाले क्षेत्रों में किसी व्यक्ति पर हमला करता है।
- यह विधेयक राज्य सरकार को अनुसूची 2 में शामिल किसी भी वन्यजीव को “वर्मिन यानी पीड़क” घोषित करने का अधिकार देता है।
 - ☉ उन जंगली जानवरों को वर्मिन यानी पीड़क घोषित किया जाता है, जो फसलों व पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं या बीमारियां फैलाते हैं।
- वर्तमान में, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 62 केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि वह अनुसूची I और अनुसूची II के भाग II में शामिल वन्यजीवों को छोड़कर, किसी भी वन्यजीव को वर्मिन घोषित कर सके तथा उन्हें अनुसूची V में शामिल कर सके।

संघीय पर्यावरणीय गवर्नेंस से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत सूची III यानी समवर्ती सूची में 'वन' और 'वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण' विषय सूचीबद्ध हैं।
 - ☉ इसी के अनुसरण में, संसद ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया है।
- समवर्ती सूची की स्थिति के परिणामस्वरूप, कोई भी राज्य कानून जो केंद्रीय अधिनियम के प्रतिकूल है, उसे राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है।



सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरोगेसी आयु सीमा प्रतिबंध पूर्वव्यापी प्रभाव (Retrospective) से लागू नहीं होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत वैधानिक आयु सीमा प्रतिबंध उन दंपतियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होंगे, जिन्होंने 25 जनवरी, 2022 को कानून के लागू होने से पहले ही सरोगेसी प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

- यह छूट उन मामलों पर भी लागू होगी, जिनमें अधिनियम लागू होने से पहले ही भ्रूण (embryos) सृजित और फ्रीज किए जा चुके थे।
- कोर्ट ने यह भी माना कि प्रजनन संबंधी विकल्प चुनने का अधिकार, जिसमें सरोगेसी भी शामिल है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अभिन्न हिस्सा है।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के बारे में

- उद्देश्य:** भारत में सरोगेसी प्रक्रियाओं को विनियमित करना, शोषण को रोकना और नैतिक एवं परोपकारी सरोगेसी को बढ़ावा देना।
- प्रमुख प्रावधान:**
 - यह अधिनियम केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है, जबकि व्यावसायिक सरोगेसी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है और इसे एक दंडनीय अपराध घोषित करता है।
 - इच्छुक दंपतियों के लिए पात्रता:**
 - विवाहित भारतीय दंपति, जिनमें पत्नी की आयु 23 से 50 वर्ष के बीच और पति की आयु 26 से 55 वर्ष के बीच हो।
 - उनके पास कोई जीवित जैविक (उनका अपना) या गोद लिया हुआ बच्चा नहीं होना चाहिए।
 - सरोगेट माता के लिए पात्रता:** विवाहित महिला, जिसकी आयु 25 से 35 वर्ष के बीच हो और जिसका अपना कम-से-कम एक बच्चा हो।
 - सरोगेट बच्चे का अधिकार:** सरोगेसी से जन्मा बच्चा इच्छुक दंपति का जैविक बच्चा माना जाएगा तथा उसे प्राकृतिक बच्चे के समान सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

अन्य सुर्खियां



सक्षम (SAKSHAM)

भारतीय थल सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित सक्षम/ SAKSHAM काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (CUAS) ग्राइड सिस्टम की खरीद शुरू कर दी है।

- सक्षम/ SAKSHAM:** सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट।
- सक्षम (SAKSHAM) प्रणाली के बारे में**
 - यह एक मॉड्यूलर और उन्नत कमांड एंड कंट्रोल (C2) प्रणाली है, जो सुरक्षित आर्मी डेटा नेटवर्क (ADN) पर काम करती है।
 - यह प्रणाली दुश्मन के ड्रोन और अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स (मानव रहित हवाई प्रणालियों) को रीयल-टाइम में पहचानने, ट्रैक करने और निष्क्रिय करने में सक्षम है। इससे नए परिभाषित टैक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस (TBS) में वायु क्षेत्र की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
 - TBS वह क्षेत्र है, जो जमीन से लगभग 3,000 मीटर (10,000 फीट) की ऊंचाई तक फैला होता है।
 - इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के सहयोग से विकसित किया गया है।



रोग प्लेनेट (Rogue Planet)

खगोलविदों ने हाल ही में एक युवा रोग प्लेनेट (ग्रह) खोजा है, जो अपने आस-पास के पदार्थ को सक्रिय रूप से आकर्षित व संचित कर रहा है।

रोग प्लेनेट के बारे में

- परिभाषा:** रोग प्लेनेट वह ग्रहीय पिंड होता है, जो अपनी मूल प्रणाली से बाहर निकल गया होता है और जो अब अंतरतारकीय अंतरिक्ष (Interstellar Space) में स्वतंत्र रूप से गमन कर रहा होता है।
- अधिकांश रोग प्लेनेट ग्रह प्रणाली के निर्माण के शुरुआती और अस्थिर चरणों में बाहर निकाल दिए जाते हैं, लेकिन कक्षीय अस्थिरता के कारण यह प्रक्रिया कभी भी हो सकती है।
- कक्षा (Orbit):** सामान्य ग्रहों के विपरीत, रोग प्लेनेट किसी तारे की परिक्रमा नहीं करता, बल्कि स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में घूमता रहता है।
- महत्त्व:** रोग प्लेनेट का अध्ययन करने से ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया, ग्रह प्रणालियों की गतिशीलता और अंतरतारकीय मैटर के साथ उनकी परस्पर क्रिया को समझने में मदद मिलती है।



जिला न्यायाधीश की नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे न्यायिक अधिकारी, जिनके पास वकील के रूप में और सेवा में रहते हुए कुल मिलाकर 7 साल का अनुभव है, वे जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे।

- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत वकीलों और सेवारत उम्मीदवारों – दोनों को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही, 7 वर्ष के अनुभव की शर्त अब न्यायिक अधिकारियों पर भी लागू होगी।
- जिला न्यायाधीश की नियुक्ति**
 - अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।
 - नियुक्ति प्राधिकारी: राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, संबंधित हाई कोर्ट से परामर्श करके की जाती है।



सिस्टैथे लॉन्गीस्केपा

वैज्ञानिकों ने चिली के अत्यधिक शुष्क अटाकामा मरुस्थल में एक जलवायु अनुकूल पुष्प प्रजाति, सिस्टैथे लॉन्गीस्केपा का अध्ययन किया। इससे यह समझा जा सकेगा कि यह फूल पानी की अत्यधिक कमी और तापमान के चरम उतार-चढ़ाव में कैसे जीवित रहता है।

- अटाकामा मरुस्थल दुनिया के सबसे शुष्क तटीय मरुस्थलों में से एक है। यह चिली के उत्तरी तटीय भाग में लगभग 1000 किमी लंबी पट्टी के रूप में फैला हुआ है।**
- सिस्टैथे लॉन्गीस्केपा के बारे में**
 - पर्यावास: यह चिली के अटाकामा मरुस्थल की स्थानिक पुष्प प्रजाति है। इसे स्थानीय रूप से "पाटा डी गुआनाको" कहते हैं।
 - विकास चक्र: यह एक वार्षिक जड़ी-बूटी है, जो अनियमित वर्षा के बाद अपना पूरा जीवन चक्र अंकुरण से लेकर फूल खिलने तक पूरा कर लेती है।
 - अनुकूलन: यह पादप कैसुलेसियन एसिड मेटाबोलिज्म (CAM) नामक एक अत्यधिक प्रभावी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में पादप रात के समय अपने रंध्र (stomata) खोलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे मैलिक अम्ल (malic acid) के रूप में संग्रहीत करता है। यह अनुकूलन मरुस्थलीय परिस्थितियों में पानी की बचत और जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है।



वस्त्र PLI योजना

वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र क्षेत्रक के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना में बड़े संशोधनों की अधिसूचना जारी की।

मुख्य संशोधनों में पात्र उत्पादों के दायरे का विस्तार, निवेश और टर्नओवर की शर्तों में कमी आदि शामिल हैं।

वस्त्र क्षेत्रक के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के बारे में

- मंत्रालय: वस्त्र मंत्रालय।
- उद्देश्य: मानव निर्मित फाइबर (MMF) परिधान और कपड़ों एवं तकनीकी वस्त्रों का उत्पादन बढ़ाना।
- अवधि: 2021 से 2030 तक (प्रोत्साहन 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा)।
- निगरानी और कार्यान्वयन: सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (Empowered Group of Secretaries) द्वारा, जिसे DPIIT ने गठित किया है।



2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार

हंगरी के लेखक लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई।

- लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई का जन्म 1954 में रोमानियाई सीमा के पास हंगरी के ग्युला में हुआ था।
- प्रमुख कृतियां: सैतानांगो (1985), द मेलानकली ऑफ रेजिस्टेंस (1989), वॉर एंड वॉर (1999), आदि।

नोबेल पुरस्कार के बारे में

- इसे अल्फ्रेड नोबेल द्वारा 1895 में स्थापित किया गया था।
- पहले नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए थे।
- यह स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है।
- इसकी 6 श्रेणियां हैं: शांति, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और आर्थिक विज्ञान (अर्थशास्त्र)।



टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026

टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी की गई।

टाइम्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में

- प्रकाशक: टाइम्स हायर एजुकेशन पब्लिशिंग।
- कार्यप्रणाली: यह 18 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर विश्वविद्यालयों का शिक्षण, अनुसंधान, ज्ञान हस्तांतरण और अंतर्राष्ट्रीय आउटलुक पर आकलन करती है।

रैंकिंग 2026 के मुख्य रैंक

- शीर्ष रैंक (वैश्विक): यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड (लगातार 10वें वर्ष)।
- भारतीय संस्थानों में: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बेंगलुरु, देश में अग्रणी है, जिसने 201-250 बैंड में अपनी स्थिति बरकरार रखी है।



अंडर-सी केबल्स

मेटा प्लेटफॉर्म ने अपने वॉटरवर्थ (Waterworth) नामक अंडर-सी केबल प्रोजेक्ट के लिए मुंबई और विशाखापत्तनम को लैंडिंग साइट (जहां केबल समुद्र से जमीन पर आती है) के रूप में चुना है।

अंडर-सी केबल्स के बारे में

- अंडर-सी केबल्स फाइबर-ऑप्टिक केबल्स होती हैं, जिन्हें महासागर के नितल पर बिछाया जाता है। ये सूचनाओं का आदान-प्रदान करती हैं और वैश्विक संचार को संभव बनाती हैं।
- महत्व: अंडर-सी केबल्स अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट की बुनियाद मानी जाती हैं। इनके माध्यम से लगभग 90% डेटा, 80% वैश्विक व्यापार, और लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के वित्तीय लेन-देन संचालित होते हैं।

सुर्खियों में रहे स्थल



ऑस्ट्रेलिया (राजधानी: कैनबरा)

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच परिचालन साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रमुख रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

भौगोलिक अवस्थिति

- अवस्थिति: ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप और पृथ्वी पर छठा सबसे बड़ा देश है। यह प्रशांत और हिंद महासागरों के बीच स्थित है।

- जल निकाय: इसके पश्चिम में हिंद महासागर और पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर हैं।

भौगोलिक विशेषताएं

- ऑस्ट्रेलिया का एक तिहाई से अधिक हिस्सा मरुस्थल है। महत्वपूर्ण मरुस्थलों में ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तनामी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल शामिल हैं।
- प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं: ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मैकडोनेल रेंज।
- प्रमुख नदियां: मरे-डार्लिंग, मुरुम्बिजी, लाचलान आदि।
- क्वींसलैंड के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया में प्रवालों का सबसे बड़ा समूह है।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर